



भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA
निर्गम विभाग / ISSUE DEPARTMENT
तिरुवनंतपुरम / THIRUVANANTHAPURAM

सीवीपीएस में उपयोग किए जाने वाले एप्रन और महिला फ्रिस्किंग बूथ में उपयोग किए जाने वाले पर्दों की धुलाई एवं इस्त्री के लिए निविदा नोटिस

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के निर्गम विभाग द्वारा सीवीपीएस में उपयोग किए जाने वाले एप्रन की धुलाई एवं इस्त्री तथा महिला फ्रिस्किंग बूथ में उपयोग किए जाने वाले पर्दों की धुलाई के लिए 01 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक नौ माह की अवधि के लिए प्रतिष्ठित एवं अनुभवी ठेकेदारों से बंद बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। बंद आवेदन एवं बोलियां निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्तों, पात्रता मानदंडों एवं अन्य संबंधित शर्तों के अनुसार आमंत्रित की जा रही हैं। ठेकेदार हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in के “निविदाएं” खंड से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।

निर्धारित निविदा फॉर्म/फॉर्म्स को भरकर राशि (GST को छोड़कर) उल्लेखित करते हुए, एक बंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए जिस पर लिखा हो “**सीवीपीएस में उपयोग किए जाने वाले एप्रन एवं महिला फ्रिस्किंग बूथ में उपयोग किए जाने वाले पर्दों की धुलाई एवं इस्त्री के लिए निविदा**” तथा यह लिफाफा सहायक महाप्रबंधक, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम – 695033 को 16 अप्रैल, 2026 को **14:00 बजे** से पहले पहुंचना चाहिए। पात्रता मानदंड दस्तावेजों वाले बंद लिफाफे 16 अप्रैल, 2026 को **15:00 बजे** खोला जाएगा। इसके बाद, कीमत बोली खोलने की तारीख योग्य आपूर्तिकर्ताओं को अलग से सूचित की जाएगी।

निविदा से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के निर्गम विभाग से संपर्क करें। संपर्क फोन नंबर: 0471-2783138/ 0471-2783104।

बैंक को प्राप्त सभी या किसी भी निविदा को किसी भी कारण बताए बिना अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
तिरुवनंतपुरम



भारतीय रिज़र्व बैंक/ Reserve Bank of India
निर्गम विभाग / Issue Department
तिरुवनंतपुरम / Thiruvananthapuram

अवधि 01 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक सीवीपीएस में उपयोग किए जाने वाले एग्रन और महिला फ्रिस्किंग बूथ में उपयोग किए जाने वाले पर्दों की धुलाई एवं इस्ती के लिए निविदा

बोली लगाने वाले का नाम: _____

पता: _____

कार्य का विवरण	वित्त वर्ष 2026-27 (01 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक) के लिए सीवीपीएस में उपयोग किए जाने वाले एग्रन और महिला फ्रिस्किंग बूथ में उपयोग किए जाने वाले पर्दों की धुलाई एवं इस्ती करना
अनुमानित लागत 09 महीने के लिए	₹2,25,000/- (रुपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र) (जीएसटी को छोड़कर)
वेबसाइट पर प्रकाशन की तिथि	09 मार्च, 2026 को 12:00 बजे।
बोली जमा करना प्रारंभ होने की तिथि	01 अप्रैल, 2026 को 10:00 बजे
बयाना जमा राशि (ईएमडी)	₹4,500/- (रुपये चार हजार पांच सौ मात्र) अर्थात् अनुमानित लागत का 2%, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में खाता संख्या 8614038 एवं आईएफसी- RBIS0THPA01 , आरबीआई, तिरुवनंतपुरम (केवल एनईएफटी द्वारा) में 16 अप्रैल, 2026, 13:00 बजे तक जमा करना है।
ईएमडी के लिए एनईएफटी के माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	बोलीदाता का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि ईएमडी राशि एवं लेनदेन का प्रमाण 16 अप्रैल, 2026, 13:00 बजे तक प्राप्त एवं निपटान किया जाए। ईएमडी के लिए कटऑफ समय का सख्ती से पालन किया जाएगा। उक्त समय और तारीख के प्रश्चात प्रारंभ या निपटाई न गई कोई भी लेनदेन अमान्य माना जाएगा और इस संबंध में कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
बोली जमा करने के लिए निविदा की समाप्ति तिथि	16 अप्रैल, 2026 को 14:00 बजे।
निविदा खोलने की तिथि (आवेदन वाले लिफाफे)	16 अप्रैल, 2026 को 15:00 बजे।
मूल्य बोली खोलने की तिथि	तिथि योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले निविदाकर्ताओं को सूचित की जाएगी।

सीवीपीएस में उपयोग किए जाने वाले एप्रनों की धुलाई एवं इस्त्री तथा मुख्य कार्यालय भवन (एमओबी), भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में महिलाओं के फ्रिस्किंग बूथों में उपयोग किए जाने वाले पर्दों की धुलाई के लिए संविदा

1. कार्य का क्षेत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम के मुख्य कार्यालय भवन (MOB) में सीवीपीएस में उपयोग किए जाने वाले एप्रॉन की धुलाई एवं इस्त्री तथा महिलाओं के फ्रिस्किंग बूथ में उपयोग किए जाने वाले पर्दों की धुलाई के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रा विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रतिष्ठित एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह संविदा 01 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक नौ महीने की अवधि के लिए होगा। आवेदक द्वारा संविदा की शर्तों एवं दायित्वों का संतोषजनक पालन करने पर, शर्तों में कोई परिवर्तन किए बिना, एक-एक वर्ष की अवधि के लिए दो बार विस्तार किया जा सकता है।

2. प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण: सफल निविदाकर्ता को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करनी होंगी:

- सीवीपीएस में उपयोग किए जाने वाले एप्रनों की धुलाई एवं इस्त्री तथा महिलाओं के फ्रिस्किंग बूथों में उपयोग किए जाने वाले पर्दों की धुलाई अवधि से या बैंक द्वारा आवश्यकता होने पर करनी होगी।
- धुलाई एवं इस्त्री के लिए लिए गए सभी एप्रन/पर्दे तीन दिनों के भीतर वापस किए जाने चाहिए।
- सभी प्रकार के धब्बों को हटाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- उपरोक्त सेवा द्वारा उठाने एवं दरवाजे पर वितरण के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए। बैंक द्वारा कोई अलग परिवहन शुल्क नहीं दिया जाएगा।

3. पात्रता मानदंड: आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए और आवेदन जमा करते समय अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने चाहिए। ऐसा न करने की स्थिति में, बैंक के पास उनके आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

- अनुभव** - आवेदक के पास सरकारी विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ होटलों/ प्रशिक्षण संस्थानों में समान सेवाएं प्रदान करने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए (प्रारूप **अनुलग्नक-II** के अनुसार)। स्थापना के प्रमाण के रूप में संगठन का ज्ञापन, संघ, स्वामित्व, साझेदारी दस्तावेज, दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण आदि जमा किए जाने चाहिए। अनुभव के प्रमाण के रूप में आवेदन के साथ कार्य आदेशों और ग्राहकों से संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करनी चाहिए।
- पंजीकरण** - आवेदक के पास लागू कर पंजीकरण (पैन/टीआईएन/वस्तु एवं सेवा कर संख्या आदि) होने चाहिए जिसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य हो।
- आवेदक के पास एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में बैंक खाता होना चाहिए तथा वह एक आश्वासन देना चाहिए कि वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (आरटीजीएस/एनईएफटी) के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए तैयार है।
- यदि किसी आवेदक को किसी भी समय भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं है और/या उसके ग्राहकों से प्राप्त प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक को बिना किसी कारण बताए आवेदन अस्वीकार करने का अधिकार है।

ठेकेदारों के लिए सामान्य अनुदेश

भरे हुए विवरणों वाली निविदा सीलबंद लिफाफों में जारी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम – 695 033 को **14:00** बजे से पहले **16 अप्रैल, 2026** तक सौंपी जानी चाहिए।

आवेदकों को अपने आवेदन (अनुलग्नक – I, II और III) और उद्धरण (अनुलग्नक- IV) दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में सौंपने होंगे। आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों को एक लिफाफे में सील करना होगा जिस पर लिखा होगा “सीवीपीएस में उपयोग किए जाने वाले धोने के एप्रॉन और मुख्य कार्यालय भवन (MOB), भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में महिलाओं के फ्रिस्किंग बूथों में उपयोग किए जाने वाले पर्दों की धुलाई के लिए पात्रता मानदंड के लिए दस्तावेज”। मूल्य बोलियाँ/उद्धरण (अनुलग्नक IV) दूसरे सीलबंद लिफाफे के माध्यम से सौंपे जाने चाहिए जिस पर लिखा होगा “सीवीपीएस में उपयोग किए जाने वाले एप्रॉनों की धुलाई एवं आयरनिंग और मुख्य कार्यालय भवन (MOB), भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में महिलाओं के फ्रिस्किंग बूथों में उपयोग किए जाने वाले पर्दों की धुलाई के लिए उद्धरण”। **दोनों लिफाफों को एक और लिफाफे के अंदर रखा जाना चाहिए और उस पर लिखा होगा “सीवीपीएस में उपयोग किए जाने वाले एप्रॉनों की धुलाई एवं आयरनिंग और मुख्य कार्यालय भवन (एमओबी), भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में महिलाओं के फ्रिस्किंग बूथों में उपयोग किए जाने वाले पर्दों की धुलाई के लिए संविदा” और 16 अप्रैल, 2026 को 14:00 बजे से पहले रिकॉर्ड सेक्शन, जारी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम को सौंपा जाना चाहिए।**

1. योग्यता मानदंड दस्तावेजों वाला सीलबंद लिफाफा **16 अप्रैल, 2026 को 15:00 बजे** खोला जाएगा। केवल उन निविदाकर्ताओं के मूल्य बोली का खुलासा किया जाएगा जो योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं। योग्य निविदाकर्ताओं को बाद में मूल्य बोली खोलने की तिथि सूचित की जाएगी। यदि कोई दस्तावेज अनुपस्थित है, तो बैंक अपनी विवेकाधिकार से निविदा को अवैध मान सकता है। निविदा खोलने के बाद किसी भी दर या शर्तों में बदलाव की सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. निविदाकर्ता(ओं) को निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी जमा/प्रस्तुत करना होगा। ईएमडी राशि के भुगतान के सबूत के बिना एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा नहीं किए गए निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। असफल निविदाकर्ताओं की ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी/लौटाई जाएगी।
3. संविदा की शर्तों और दायित्वों के पूर्ण निर्वहन के लिए सुरक्षा के रूप में, सफल निविदाकर्ता को कार्य आरंभ करने से पूर्व कार्य के अनुमानित मूल्य के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर एक सुरक्षा जमा राशि अर्थात ₹11,250/- (रुपये ग्यारह हजार दो सौ पचास मात्र) जमा करनी होगी। सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक अपने आप को किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करता है, चाहे वह सबसे कम हो या न हो, और अपने पास यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह किसी भी या सभी टेंडरों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, बिना किसी कारण बताए।
5. ठेकेदार रिज़र्व बैंक की लिखित सहमति के बिना संविदा का कोई भी हिस्सा सबकॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, रिज़र्व बैंक ठेकेदार को संविदा रद्द करने के लिए लिखित नोटिस जारी कर सकता है।
6. निविदा दाता अपने स्वयं के खर्च पर निविदा बनाने और संविदा में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है और कार्य स्थल का निरीक्षण कर सकता है तथा स्थानीय परिस्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधनों, कार्य की प्रकृति और इससे संबंधित सभी मामलों से अवगत हो सकता है।

7. ठेकेदार के पास संविदा के निष्पादन और सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए तिरुवनंतपुरम नगर निगम की सीमाओं के भीतर एक कार्यालय होना चाहिए।
8. ठेकेदार कृपया ध्यान दें कि उपयोग किए गए एप्रन और उपयोग किए गए आवरणों का संग्रह धोने के लिए सामान्य कार्य समय के दौरान किया जाना चाहिए। संपूर्ण कार्य कम से कम व्यवधान के साथ किया जाना चाहिए।
9. सफल ठेकेदार को उनके श्रमिकों के नाम, पता, पहचान प्रमाण पत्र और पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जैसे विवरण प्रस्तुत करने होंगे जिन्हें उक्त संविदा के लिए नियुक्त किया गया है। श्रमिकों को केवल ठेकेदार द्वारा जारी प्राधिकरण/प्रवेश अनुमति प्रदर्शित करने पर ही परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी और बैंक द्वारा लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंधों के अधीन भी होना होगा। ठेकेदार अपने श्रमिकों/मजदूरों के आचरण के लिए उत्तरदायी होंगे।
10. आवेदक निविदा, विअनुदेश आदि के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए तिरुवनंतपुरम के मुद्रा विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
11. यदि सफल आवेदक द्वारा प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं, तो बैंक अपने विवेकाधीन बिल की राशि का अधिकतम 20% काट सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि सफल ठेकेदार सूखी सफाई के लिए कपड़े/यूनिफॉर्म लेने के लिए नहीं आता है, तो बैंक को अन्य सेवा प्रदाता से यूनिफॉर्म/कपड़ों की सूखी सफाई कराने और वैडर को देय राशि से उस राशि को काटने का अधिकार होगा।
12. भुगतान बिल जमा करने पर मासिक रूप से किया जाएगा। इस संविदा के तहत ठेकेदार को सभी भुगतान केवल भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम द्वारा किए जाएंगे। लागू कर विधिकरण के अनुसार, देय बिलों से स्थानीय कर कटौती की जाएगी।
13. ठेकेदार बैंक की संपत्ति को ठेकेदार द्वारा नियुक्त श्रमिकों द्वारा जानबूझकर या अन्यथा किए गए किसी भी हानि या क्षति की भरपाई करेगा।
14. बैंक को ठेकेदार की गतिविधियों/अनुपस्थिति के कारण हुए नुकसान या हानि की राशि ठेकेदार को देय राशि से काट दी जाएगी।
15. यदि इसके अंतर्गत किसी दायित्व के उत्पन्न होने के संबंध में कोई विवाद हो, तो बैंक का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा और ऐसे दायित्वों के उत्पन्न होने की स्थिति में, बैंक का निर्णय अनुभव किए गए क्षति या हानि की राशि के संबंध में अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
16. ठेकेदार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि/मजदूर/एजेंट आदि को RBI के परिसर में प्रवेश करने के लिए RBI से सुरक्षा पास प्राप्त करना होगा। वे बैंक के परिसर में लागू सभी सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे। ठेकेदार को जब भी निरीक्षण किया जाए, तो गेट पास प्राप्त करना और दिखाना जैसी सभी औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
17. ठेकेदार या उसके कर्मचारी, एजेंट, श्रमिक और ठेकेदार द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को बैंक या उसके कर्मचारियों को कोई उत्पात या परेशानी नहीं पहुंचानी चाहिए और बैंक के परिसर में कोई खतरनाक सामान नहीं ले जाना या संग्रहीत नहीं करना चाहिए।
18. ठेकेदार अपने श्रमिकों को मजदूरी और अन्य लागू कानूनी दायित्वों, जैसे ईपीएफ, ईएसआई आदि का भुगतान करने के लिए एकमात्र जिम्मेदार होगा, जैसा कि नियमों और विनियमों में उल्लिखित है।

19. ठेकेदार अपनी लागत पर श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत या किसी अन्य नीति के तहत तीसरे पक्ष का बीमा लेगा जो कार्यस्थल पर नियुक्त श्रमिकों की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु/चोट को कवर करेगा। बीमा सभी ठेकेदार द्वारा संविदा की अवधि के दौरान तैनात श्रमिकों को कवर करेगा। बीमा की प्रति अनुभाग को सौंपी जाएगी।
20. बैंक इस संविदा के लिए किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभाव के बिना कार्य की प्रकृति में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसमें कार्य के किसी भी आइटम को जोड़ना या हटाना शामिल है।
21. इस समझौते से उत्पन्न या इससे किसी भी तरह से संबंधित सभी विवाद तिरुवनंतपुरम में उत्पन्न माने जाएंगे और केवल तिरुवनंतपुरम के न्यायालयों को उनका निर्धारण करने का अधिकार होगा।
22. ठेकेदार बैंक को लिखित रूप से तीन महीने की पूर्व सूचना दिए बिना इस समझौते को रद्द नहीं कर सकता।
23. बैंक को संविदा की निर्धारित अवधि के बाद समझौते को नवीनीकृत करने या यदि ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवाएं बैंक के लिए संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो किसी अन्य ठेकेदार के साथ नए समझौते के लिए जाने का विवेकाधिकार है, बिना किसी सूचना के।
24. यदि ठेकेदार इस समझौते की शर्तों और नियमों का पालन नहीं करता है/उनका पालन नहीं करता है, तो बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के समझौते को समाप्त करने और बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार नए समझौते के लिए जाने का विवेकाधिकार है।
25. ठेकेदार किसी भी तीसरे पक्ष को सीधे या परोक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि के संबंध में किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करेगा, जो ठेकेदार के इस संविदा के संबंध में अपने अनुबंधित दायित्वों का निर्वहन करते समय उसके अधिग्रहण या ज्ञान में आ सकती है, और सभी समय उन्हें सर्वोच्च गोपनीयता के साथ रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरणों को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि इसके अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका या अन्यत्र कार्य के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित होने देने या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार बैंक को गोपनीय जानकारी के किसी भी खुलासे के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन न करने पर ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार रखेगा।
26. ठेकेदार को अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उपयुक्त कदम उठाने चाहिए ताकि इस संविदा के तहत गोपनीय जानकारी के अनावरण से संबंधित दायित्व पूरी तरह से पूरे किए जा सकें।
27. ठेकेदार के गोपनीयता और गोपनीयता से संबंधित दायित्व इस संविदा के समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे, चाहे कारण कुछ भी हो।
28. ठेकेदार को महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के पूर्ण पालन के लिए एकमात्र जिम्मेदार होगा। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक (तिरुवनंतपुरम कार्यालय) के परिसर के भीतर उसके कर्मचारी के खिलाफ कोई यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है, तो शिकायत गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी। ठेकेदार को उक्त अधिनियम के तहत शिकायत के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
29. ठेकेदार के किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा बैंक के कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का विचार बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा किया जाएगा।

30. यदि घटना ठेकेदार के कर्मचारियों से संबंधित है, तो ठेकेदार को किसी भी मौद्रिक प्रतिकर के लिए जिम्मेदार होगा, उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध होती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत दी जानी है।
31. ठेकेदार को अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
32. ठेकेदार को अपने कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करनी चाहिए जिन्हें वह बैंक के परिसर के भीतर तैनात करता है।
33. ठेकेदार को संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; श्रमिकों की प्रतिकरण अधिनियम, 1923; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; कर्मचारी भविष्य निधि (एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938; बाल श्रमिक अधिनियम, 1938; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; तथा/अथवा किसी अन्य लागू नियम/विनियम/अधिनियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा। ठेकेदार उक्त प्रावधानों के उल्लंघन/अपालन के लिए एकमात्र उत्तरदायी होगा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम को उक्त सांविधानिक प्रावधानों के अपालन से उत्पन्न सभी अनुपस्थिति, दोष, उल्लंघन एवं/या किसी दावे, मांग, हानि, चोट एवं व्यय से बरी रखेगा। यदि ठेकेदार यहां उल्लिखित किसी भी दायित्व का निर्वहन नहीं करता है और/या उक्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों/अथवा इनमें से किसी के अंतर्गत बनाए गए किसी भी उप-नियम या नियम का पालन नहीं करता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम को ऐसे दावे, मांग, हानि या चोट के कारण उठाए गए या झेले गए किसी भी नुकसान या व्यय की वसूली करने का अधिकार होगा, जो उसे भुगतान करने वाले राशि से की जाएगी।

सीवीपीएस में उपयोग किए जाने वाले एप्रन की धुलाई और इस्त्री तथा महिलाओं के फ्रिस्किंग बूथ में उपयोग किए जाने वाले पर्दों की धुलाई

1.	कंपनी/फर्म/संस्थान/स्वामित्व/व्यक्ति का नाम	
2.	व्यवसाय संगठन का प्रकार (स्वामित्व/फर्म/कंपनी/अन्य)	
3.	पंजीकृत पता	
4.	ई-मेल पता	
5.	व्यवसाय विवरण	
6.	पंजीकरण विवरण (फर्म, कंपनी आदि), पंजीकरण प्राधिकरण, तिथि, संख्या आदि	
7.	पैन नंबर (प्रति संलग्न करें)	
8.	टेलीफोन/मोबाइल नंबर	
9.	फैक्स नंबर	
10.	बैंक शाखा का नाम एवं पता, आईएफएससी नंबर	
11.	बैंक खाते का प्रकार एवं खाता नंबर (रद्द प्रति संलग्न करें)	
12.	जीएसटी पंजीकरण संख्या (यथालागू)	
13.	किसी आपराधिक मामले/विवाद में शामिल	
14.	किसी भी कार्य के निष्पादन में कोई नागरिक मुकदमा लंबित है। यदि कोई हो, तो विवरण प्रदान करें	

15. उन संस्थाओं (संविदा विवरण सहित) का विवरण जिनके साथ समान अनुबंधित दायित्वों में प्रवेश किया गया है, यदि कोई हो।

संस्था का नाम	संस्था का पता और टेलीफोन नंबर	संविदा की अवधि	कार्य स्थिति - पूर्ण/अपूर्ण

16. क्या बोली लगाने वाले या उसके किसी निदेशक या साझेदार को कभी आरबीआई/राज्य या केंद्र सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा निविदा के लिए आवेदन करने से वंचित किया गया है। (हां/नहीं)

हस्ताक्षर, मुहर एवं तारीख के साथ

संलग्नक:

- i. संविदा की शर्तों और शर्तों की प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर बिना किसी शर्त के हस्ताक्षरित। कंपनी के मामले में, दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को अधिकृत करने के संबंध में बोर्ड का प्रस्ताव। फर्म के मामले में अधिकृत दस्तावेज़।
- ii. पते का प्रमाण, पैन कार्ड की प्रति।

पूर्व अनुभव

अन्य संगठनों में अंतिम 3 वर्षों के कार्य अनुभव (पूर्व अनुभव देने के लिए अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ा जा सकता है)।

नियुक्ति का नाम	संगठन का नाम एवं पता	कार्य स्थल	कार्य के लिए राशि	कार्य स्थिति - पूर्ण (हां/नहीं)	क्या कार्य समय पर पूरा किया गया (हां/नहीं)

हस्ताक्षर, मुहर एवं तारीख के साथ

आवेदक(आवदकों) द्वारा दिया गया हस्ताक्षरित घोषणा पत्र

मैं/हमने प्रारूप और संबंधित अनुदेशों को पढ़ लिया है, और मैं/हम समझते हैं कि यदि भविष्य में कभी भी कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मेरा/हमारा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ किया गया समझौता/संविदा अवैध हो जाएगा।

2. मैं/हम सहमत हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय ठेकेदार के अंतिम चयन के संबंध में बाध्यकारी होगा।

3. मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार उपरोक्त में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

4. मैं/हम सहमत हैं कि मेरे/हमारे द्वारा किए गए कार्य के संबंध में किसी भी सत्यापन के आयोजन में मैं/हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे।

5. मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैं/हमने ऊपर उल्लिखित 'ठेकेदारों के लिए अनुदेश' में दिए गए निर्देशों को पढ़ा, समझा और उनका पालन करने से सहमति व्यक्त की है।

तिथि:

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर एवं मुहर।

स्थान:

नाम एवं पता:

सीवीपीएस में उपयोग किए जाने वाले एप्रन और महिलाओं के फ्रिस्किंग बूथ में उपयोग किए जाने वाले रेशम के पर्दों की धुलाई एवं इस्त्री के लिए मूल्य बोली आवेदन

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	प्रति टुकड़े की दर (₹ में) 1 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक
1	निम्नलिखित कार्य के लिए शुल्क: सीवीपीएस में उपयोग किए जाने वाले एप्रन की धुलाई और इस्त्री (शुल्क में जीएसटी शामिल नहीं है) *	
2	निम्नलिखित कार्य के लिए शुल्क: महिलाओं के फ्रिस्किंग बूथों में उपयोग किए जाने वाले पर्दों की धुलाई (शुल्क में जीएसटी शामिल नहीं है) *	

*GST @ 18%

हस्ताक्षर, मुहर एवं पता

स्थान:

दिनांक: